

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

राँची/दिनांक- 30/11/16

संख्या-अ0 स्था0 05/19/2013

5297

/भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के

परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा वाणिज्य-कर विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के लिपिकों की नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

- (i) संक्षिप्त नाम - यह नियमावली झारखण्ड राज्य वाणिज्य-कर विभाग लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2016 कही जायेगी।
- (ii) विस्तार - इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य के वाणिज्य-कर विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के लिए लागू होगा।
- (iii) प्रभाव की तिथि - झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से यह नियमावली प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ

- (i) राज्य- 'राज्य' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य;
- (ii) सम्बर्ग- 'सम्बर्ग' से तात्पर्य है सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों को छोड़कर वाणिज्य-कर विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में लिपिकीय पदों का राज्य स्तरीय सम्बर्ग;
- (iii) आयोग- 'आयोग' से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग;
- (iv) विभाग- 'विभाग' से अभिप्रेत है कार्यपालिका नियमावली के द्वारा यथानिर्धारित वाणिज्य-कर विभाग;
- (v) विभागाध्यक्ष- 'विभागाध्यक्ष' से अभिप्रेत है वाणिज्य-कर आयुक्त;
- (vi) नियुक्ति प्राधिकार- 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है वाणिज्य-कर आयुक्त;
- (vii) परीक्ष्यमान- 'परीक्ष्यमान' से तात्पर्य है वह सरकारी सेवक, जो संवर्ग की किसी मौलिक रिक्ति में या उसके विरुद्ध परीक्ष्यमान रूप से नियोजित हो;
- (viii) वरीयता सूची- 'वरीयता सूची' से अभिप्रेत है वाणिज्य-कर विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त लिपिकीय पदों की वरीयता सूची जो नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि को संधारित हो या उसके बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अनुसार पुनरीक्षित हो;
- (ix) नियंत्री पदाधिकारी- 'नियंत्री पदाधिकारी' से अभिप्रेत है वाणिज्य-कर विभाग के सम्बद्ध कार्यालयों के घोषित नियंत्री पदाधिकारी;
- (x) भर्ती वर्ष- 'भर्ती वर्ष' से अभिप्रेत है कैलेण्डर वर्ष (1ली जनवरी से 31 दिसम्बर)

लजय कुमार

अ.क.

34 सितंबर

634 कवि

3. संवर्गीय संरचना-

(क) इस संवर्ग में निम्न कोटि के पद होंगे-

क	कोटि/पदनाम	वेतनमान	वर्गीकरण	श्रेणी
(i)	<u>निम्नवर्गीय लिपिक:-</u>	5200-20200 (PB-I) Grade pay.1900	समूह 'ग'	अराजपत्रित
(ii)	<u>उच्च वर्गीय लिपिक:-</u> (प्रोन्नति के पद)	5200-20200 (PB-I) Grade pay.2400	समूह 'ग'	अराजपत्रित
(iii)	<u>प्रधान लिपिक-</u> (प्रोन्नति के पद)	9300-34800 (PB-II) Grade pay.4200	समूह 'ख'	अराजपत्रित
(iv)	<u>कार्यालय अधीक्षक</u> (प्रोन्नति के पद) (वाणिज्य-कर अंचल/प्रमण्डल कार्यालयों के लिए)	9300-34800 (PB-II) Grade pay.4600	समूह 'ख'	अराजपत्रित

नोट- कोटि के वेतनमान एवं समूह वही होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर वर्गीकरण एवं वेतनमान संशोधन किये जाने पर उपर्युक्त वर्णित वर्गीकरण एवं वेतनमान स्वतः पुनरीक्षित माने जाएंगे।

(ख) अधिकृत बल- लिपिक के पदों के लिए अधिकृत बल का निर्धारण आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर वाणिज्य-कर विभाग द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से परामर्श प्राप्त कर किया जाएगा। नियामावली के प्रवृत्त होने की तिथि को सम्बर्गीय अधिकृत बल वही होगा, जो पूर्व से सृजित हैं।

(ग) विभिन्न कोटि के पदों की अनुमान्यता -

संवर्ग बल में कोटिवार पदों की अनुमान्यता अधिकतम निम्न प्रकार निर्धारित हो सकेगी -

- सम्बर्ग के स्वीकृत बल का 56 (छप्पन) प्रतिशत निम्न-वर्गीय लिपिक पद के मूल कोटि के पद माने जायेंगे।
- सम्बर्ग के स्वीकृत बल का 28 (अट्ठाइस) प्रतिशत उच्च वर्गीय-लिपिक के रूप में प्रोन्नति के पद होंगे।
- सम्बर्ग के स्वीकृत बल का 14 (चौदह) प्रतिशत पद प्रधान-लिपिक के लिए माने जायेंगे। वाणिज्य-कर विभाग के प्रमण्डलों के अधीनस्थ अंचल कार्यालयों में प्रधान-लिपिक का पद उच्च-वर्गीय लिपिक से प्रोन्नति के पद होंगे।
- संवर्ग के स्वीकृत बल का 2 (दो) प्रतिशत पद कार्यालय-अधीक्षक के लिए माने जायेंगे। कार्यालय में कार्यालय-अधीक्षक का पद प्रधान-लिपिक से प्रोन्नति के पद होंगे।

4.(क) निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर भर्ती की प्रक्रिया

- रिक्ति की गणना:- प्रत्येक वर्ष 1ली जनवरी को आधार तिथि मान कर रिक्तियों की गणना की जायेगी। कोटि में 85 (पच्चासी) प्रतिशत पद सीधी भर्ती से तथा 15 (पन्द्रह) प्रतिशत पद चतुर्थ वर्ग (समूह घ) से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर समूह 'घ' के कर्मियों से भरे जायेंगे, जिसका आयोजन कर्मचारी चयन आयोग, झारखण्ड द्वारा किया जायेगा।

संयोजक

G. K. Singh
उप-निर्देशक

6/3/2014

1/

- (ii) वाणिज्य-कर विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में लिपिकीय पदों पर भर्ती सम्बद्ध कार्यालयों की अधियाचित रिक्ति के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा से प्राप्त चयनित उम्मीदवारों की सूची में से मेधा क्रम के अनुसार आरक्षण का पालन करते हुए विभागाध्यक्ष द्वारा की जायेगी।
- (iii) आरक्षण- राज्य सरकार के अधीन पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयन में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आरक्षण के विषय पर गठित नियम/उपनियम एवं परिपत्र लागू होंगे।
- (ख) **शैक्षणिक योग्यता-**
 अनिवार्य योग्यता- सीधी भर्ती एवं सीमित प्रतियोगिता से भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/इंटरमिडिएट काउंसिल या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडियेट या 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा हिन्दी-अंग्रेजी कम्प्यूटर टंकण में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की टाईपिंग गति अनिवार्य अर्हता होगी। कम्प्यूटर संचालन का व्यवहारिक ज्ञान अनिवार्य है।
- (ग) **उम्र सीमा:-** अध्यायना वर्ष की 1ली अगस्त को न्यूनतम उम्र सीमा 18 (अठारह) वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा वह होगी जो सीधी भर्ती हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित हो।
- (घ) **चयन प्रक्रिया :-** कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-8566 दिनांक-28.09.2015 के द्वारा गठित एवं समय-समय पर यथासंशोधित 'झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमिडियेट/+2 स्तर) संचालन नियमावली, 2015' के प्रावधानों के अनुसार 'झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कर एक मेधा सूची तैयार करेगी और विभाग की अध्यायना के अनुसार मेधा सूची उपलब्ध करायेगी।
5. **परिवीक्षा अवधि-**
 लिपिक के पदों पर सीधी प्रतियोगिता/सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त निम्न वर्गीय लिपिक नियुक्त होने की तिथि से मौलिक पद पर अस्थायी माने जायेंगे जिन्हें प्रमण्डल एवं अंचल कार्यालय की विभिन्न शाखा के अभिलेखों के संधारण एवं विभागीय सॉफ्टवेयर आदि का परिबोध प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण की यह अवधि न्यूनतम छः माह एवं परिवीक्षा अवधि 2 (दो) वर्षों की होगी तथा इसका संचालन एवं व्यवस्था विभागाध्यक्ष के स्तर से की जायेगी।
6. **सम्पुष्टि:-**
 परिवीक्षा अवधि 2 (दो) वर्षों की होगी तथा उक्त अवधि में कार्यालय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा लेखा-परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल करने तथा विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर ज्ञान की जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात एवं उनकी सेवा संतोषप्रद पाये जाने पर विभागाध्यक्ष द्वारा उन्हें मौलिक पद के विरुद्ध सम्पुष्ट की जायेगी। वेतन वृद्धि हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत प्रावधान लागू होंगे।
7. **वरीयता:-**
 वाणिज्य-कर विभाग में नियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक की पारस्परिक वरीयता एतद् विषयक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में निर्धारित होगी:-
- (i) वरीयता विभागाध्यक्ष के स्तर पर संधारित होगी।
- (ii) पूर्व से कार्यरत निम्नवर्गीय लिपिकों/उच्च वर्गीय लिपिकों/प्रधान लिपिकों तथा कार्यालय अधीक्षकों की वरीयता उनकी नियुक्ति की तिथि के क्रमानुसार रहेगी तथा एक ही तिथि को

संजय कुमार

G. D. Singh
उपनिर्देश

5/10/2015

bailan

नियुक्त कर्मियों की वरीयता उनकी जन्म तिथि या जन्म तिथि एक रहने पर नामों के प्रारंभिक अक्षर के आधार पर निर्धारित होगी।

- (iii) अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तिथि के बाद इस नियमावली के नियम 4 (चार) के तहत नियुक्त लिपिकों के पदों की वरीयता आयोग की अनुशंसा में अंकित नामों के क्रमानुसार रहेगी।

8. प्रोन्नति:-

- (i) संवर्गीय संरचना में निम्नस्तर से उच्चतर पदों पर प्रोन्नति वरीयता-सह-योग्यता (Seniority-cum-fitness) पर आधारित होगी।
- (ii) प्रोन्नति हेतु पदों का कोटिवार (gradewise) कर्णाकण सक्षम विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा किया जायेगा, जो निम्नवत होगा-
 1. वाणिज्य-कर आयुक्त - अध्यक्ष,
 2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा मनोनीत/अनुसूचित जाति के पदाधिकारी - सदस्य,
 3. विभाग के मुख्यालय में पदस्थापित अपर आयुक्त/संयुक्त सचिव-सदस्य सचिव,
 4. विभाग के मुख्यालय में पदस्थापित उप सचिव/अवर सचिव (अराजपत्रित शाखा) से अन्यून स्तर के पदाधिकारी- सदस्य,
 5. वित्त विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी (उप सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी)- सदस्य।
- (iii) प्रोन्नति हेतु कर्मियों की पारस्परिक वरीयता, न्यूनतम कालावधि एवं आरक्षण के संबंध में एतद् विषयक कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्र/अनुदेश प्रभावी होंगे।

9. पदस्थापन/स्थानान्तरण/अवकाश/सेवा निवृत्ति लाभ:-

विभागाध्यक्ष पदस्थापन/स्थानान्तरण/अवकाश/सेवा निवृत्ति लाभ के लिए अधिकृत पदाधिकारी रहेंगे। विभागाध्यक्ष अपनी इस शक्ति को प्रमण्डलीय संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) को प्रत्यायोजित (Delegate) कर सकेंगे।

10. चरित्र-पुस्ती/सेवा-पुस्त आदि के संबंध में समय-समय पर इस हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेश प्रभावी रहेंगे।

11. अनुशासनात्मक कार्रवाई :-

राज्य में प्रवृत्त सुसंगत नियमावली के प्रावधानों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि की शक्ति विभागाध्यक्ष में सन्निहित होगी।

12. प्रकीर्ण :-

- (क) अन्य ऐसे मामले जिनके संबंध में ऊपर के खण्डों में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, उनमें झारखण्ड सेवा-संहिता अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू अन्य वैधानिक प्रावधान लागू होंगे। कर्मचारियों को विहित नियमों के अधीन यह सुविधा देने की शक्ति संवर्ग के नियंत्री पदाधिकारी को होगी।

- (ख) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस नियमावली को विखंडित कर सकेगी या इसमें संशोधन कर सकेगी या इस नियमावली के नियमों को स्पष्ट कर सकेगी या उसे लागू करने में उत्पन्न त्रुटियों को दूर कर सकेगी।

संजय कुमार

G. d. m.
उप सचिव

30/11/2019

बैलन

13. निरसन और व्यावृत्ति :-

- (क) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व के इस नियमावली के विषयों पर बिहार सरकार द्वारा बनायी गयी बोर्ड नियमावली या निर्गत कोई नियम/विनियम/अनुदेश/आदेश, जो झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत है, इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित माने जायेंगे।
- (ख) ऐसे निरसन के होते हुए भी उल्लिखित आदेश द्वारा या उसके अधीन शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी मानों यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(के०के० खण्डेलवाल)

प्रधान सचिव-सह-आयुक्त।

ज्ञापांक-अ० स्था०-०५/१९/२०१३ 5297 /राँची, दिनांक-30/11/16
प्रतिलिपि-महलेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव-सह-आयुक्त।

ज्ञापांक-अ० स्था०-०५/१९/२०१३ 5297 /राँची, दिनांक-30/11/16
प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित।

2.अनुरोध है कि मुद्रित राजपत्र की 500 प्रतियाँ वाणिज्य-कर विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रधान सचिव-सह-आयुक्त।

ज्ञापांक-अ० स्था०-०५/१९/२०१३ 5297 /राँची, दिनांक-30/11/16
प्रतिलिपि-माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची/महाधिवक्ता कार्यालय, झारखण्ड, राँची/संयुक्त निदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, झारखण्ड, राँची/सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड, राँची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/सभी वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त(प्र०)/अपील/वैट अंकेक्षण इकाई/सभी वाणिज्य-कर अंचल प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव-सह-आयुक्त।

संजय कुमार

प्रशाखा पदाधिकारी

उप सचिव

संयुक्त सचिव